उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPRATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्याः 4283 –पारे0अनु0–16/पाट्रकालि/2018–(74)/2013 दिनांक 03 दिसम्बर, 2018

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर–I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

विषयः– **उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे हैं, को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ते का भुगतान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पारेषण कारपोरेशन के आदेश संख्या–1560–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि/2018–(74)/2013 दिनांक 10.05.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा :–

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2018	मूल वेतन का 09 प्रतिशत

2- उपरोक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :–

I. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

II. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत वेतन ' नहीं माना जायेगा।

III. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

IV. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

V. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2018 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक की देय अवशेष धनराशि, अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक

(क्रमशः.........2)

31 अक्टूबर, 2019 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलो को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से *(माह नवम्बर 2018 का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर 2018 को देय)* से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता न खुला हो उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी०पी०एफ० खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट *(एन०एस०सी०)* के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

VI. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2018 से इस आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

3- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा) द्वारा प्राधिकार-पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उपसचिव (पारेषण)

संo- 4283 (I) पारे0अनु0-16/पाट्राकालि/2018 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रांसमिशन की वेबसाईट, **www.upptcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उपसचिव (पारेषण)